न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 22 / 2017 तारीख रजू 20.04.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. हुकमचन्द मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल निवासी दंगेड़िया मोहल्ला बौंली जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) मैसर्स जुगल किशोर ओमप्रकाश सदर बाजार बौली, जिला सवाई माधोपुर।
2. रामगोपाल पुत्र श्री भंवरलाल (फर्म मालिक) निवासी जयपुर रोड निवाई जिला टोंक मैसर्स तमोलिया एण्ड कम्पनी ई–9 कृषि मण्डी निवाई जिला टोंक।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 14.03.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 17.05.2016 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स जुगल किशोर ओमप्रकाश सदर बाजार बौंली जिला सवाईमाधोपुर पर पहुंचा वहॉ पर हुकमचन्द मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल निवासी दंगेडिया मोहल्ला बौंली जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी। विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति नहीं होना जाहिर किया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम के लगभग 25 पौली पैक** दुकान में रखे मिले के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम के** 2x4 **पौली पैक** वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 300 /– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम के** 2x4 **पौली पैक** को मूल ही लेकर प्रत्येक को प्लास्टिक के जारो में रखकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 911 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहॉ जिसे विक्रेता हुकमचन्द पुत्र ओमप्रकाश मित्तल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहॅुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गईं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2016/2039 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 1524/एक्ट/2016/2521 दिनांक 16.07.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम** Misbranded पाया गया। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तों ने Misbranded खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 की ओर से रघु बंसल एड. तथा अभियुक्त संख्या 2 की ओर से मुकेश बंसल एड. उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस में तर्क दिया है न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कथन जिस प्रकार से वर्णित है कि अभियुक्त द्वारा कोई मिसब्राण्ड प्रकृति **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम का** विक्रय किया हो, गलत है तथा अस्वीकार है। अभियुक्त संख्या 1 ने जरिये बिल अभियुक्त संख्या 2 से लेकर खाद्य पदार्थ विक्रय किया है। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा पैक अवस्था में ही खाद्य पदार्थ प्राप्त कर पैक अवस्था में ही विक्रय किया है ऐसी स्थिति में अभियुक्त संख्या 1 को प्रकरण में से दोषमुक्त किया जावे। वकील अभियुक्त संख्या 1 ने बहस में यह भी तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट में नमूना के लेबल पर Best before 12 months from packaging के स्थान पर Best before within 12 months from the date of packaging अंकित होने के कारण एफएसएस (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2.2(10) का उल्लघन माना गया है जबकि माननीय राजस्थान

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय **ओम प्रकाश नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में** उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है और पूर्व के निर्णय/आदेश को निरस्त किया गया है। वकील अभियुक्त संख्या 2 ने लिखित बहस पेश कर लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में यह भी तर्क दिया कि जांच रिपोर्ट में अभियुक्त संख्या 2 द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ के नमूने में किसी तरह की मिलावट नहीं पाई गई है केवल मात्र Best before within 12 months from the date of packaging अंकित होने के कारण नमूना मिसब्राण्ड आया है जो कि छोटी गलती है। अतः न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य प्रकृति के **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अभियुक्तगण यदि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे तो उन्हें एफ.एस.एस.एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु पत्र प्राप्ति के 30 दिन तक निर्धारित फार्म नं0 8 में आवेदन कर सकते थे जोकि उनके द्वारा नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 1524/एक्ट/2016/2521 दिनांक 16.07.2016 के अनुसार विक्रेता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(zf)(c)(i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 व रेगूलेशन 2.2.2(10) की धारा का उल्लघंन का दोषी माना गया है। अभियुक्तगण द्वारा जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर उनके द्वारा तत्समय एफ.एस.एस.एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया गया। अभियुक्त संख्या 2 ने बहस के दौरान दोष स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति अधिरोपित करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त संख्या 1 हुकम चन्द मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश मित्तल को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत 10,000/—रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि तथा अभियुक्त संख्या 2 रामगोपाल पुत्र श्री भंवर लाल को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Tea (Super Navrang) 250 ग्राम** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत 40,000/—रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर—अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से

न्याय निर्णयन अधि...
एवं अति. जिला मजिस्ट्रे...

जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर